

5.8.24

वकील पार्सी अप. वकील पार्सी द्वारा दिकी अनुसार शपथ
रिपोर्ट में मंजूर होगा अतः। प्रविण पत्र में कोई कमीवारी
शेष नहीं है पर प्रविण पत्र स्वीकार किया जाता है प्याबली
नंबर से कद होकर कार्रवाई दफतर को

आदेश करें जिल्ला सुनाना अफसर



उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2023/333